[2019] 5 एस. सी. आर. 452

रामकृष्ण मिशन और अन्य

बनाम

कागो कुन्या और अन्य।

(2019 की सिविल अपील संख्या 2394)

फरवरी 28, 2019

[न्यायमूर्तिगण डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता]

भारत का संविधानः अनुच्छेद । 12 और 226–क्या अपीलार्थी संस्था एक प्राधिकरण है और इसलिए उसे रिट अधिकार प्राप्त है। प्रत्यर्थी (अपीलार्थी द्वारा संचालित अस्पताल के कर्मचारी) ने अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की। अपीलार्थी द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति के संबंध में संचार को चुनौती देना– अपीलार्थी या अस्पताल के रूप में याचिका की रखरखाव के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कला के अर्थ के भीतर एक राज्य नहीं थे। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत अपीलार्थी कला के अर्थ के भीतर राज्य हैं और मामले का निर्णय योग्यता के आधार पर किया–उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने माना कि अपीलार्थी 'अन्य प्राधिकरण की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 12 और 226 इसलिए रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है । अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में एक संगठन का चरित्र मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है–इससे पहले कि किसी संगठन को सार्वजनिक कार्य के निर्वहन के लिए आयोजित किया जा सके, कार्य एक ऐसे चरित्र का होना चाहिए जो किए जाने वाले कार्यों से निकटता से संबंधित हो।

राज्य द्वारा अपनी संप्रभु क्षमता में–कार्यप्रणाली, प्रशासन और दिन–प्रतिदिन में कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है।

अपीलार्थियों का प्रबंधन–इसलिए, अस्पताल किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के दायरे में नहीं आता है– अस्पताल के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें सेवा नियमों द्वारा शासित होती हैं जो किसी भी सरकारी निकाय के हस्तक्षेप के बिना मिशन द्वारा तैयार किए जाते हैं–इस प्रकार, विशुद्ध रूप से निजी प्रकृति के अनुबंध रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं होंगे इसलिए, अपीलार्थी 'प्राधिकरण' के रूप में रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित :– 1. अस्पताल प्रतिवादी (रामकृष्ण मिशन) की एक शाखा है और इसके नियंत्रण के अधीन है। मिशन द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ स्वैच्छिक, धर्मार्थ और गैर–लाभकारी हैं। प्रकृति में लाभ कमाना ये गतिविधियाँ राज्य द्वारा अपनी संप्रभु क्षमता में

किए गए कार्यों से निकटता से संबंधित नहीं हैं और न ही वे सार्वजनिक कर्तव्य की प्रकृति में भाग लेती हैं।

2. मिशन के शासी निकाय का गठन रामकृष्ण मठ के न्यासी मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है और इसमें संगठन के प्रबंधन की शक्ति और अधिकार निहित होते हैं। मिशन की संपत्तियाँ और धन और इसका प्रबंधन शासी निकाय में निहित है। शासी निकाय द्वारा चुने जाने पर कोई भी व्यक्ति मिशन का सदस्य बन सकता है। रोल पर सदस्य वार्षिक आम बैठकों का कोरम बनाते हैं। प्रबंध समिति में मिशन के मामलों के प्रबंधन के लिए शासी निकाय द्वारा नियुक्त सदस्य शामिल होते हैं। संगठन के ज्ञापन और मिशन के नियमों और विनियमों के तहत, मिशन के कामकाज, प्रशासन और दिन–प्रतिदिन के प्रबंधन में कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। अस्पताल के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें हैं –

सेवा नियमों द्वारा शासित जो किसी भी सरकारी निकाय के हस्तक्षेप के बिना मिशन द्वारा बनाए गए हैं। [पैरा 20]

3. भले ही निकाय एक व्यापक अर्थ में एक सार्वजनिक कार्य का निर्वहन करता है, इसमें कोई सार्वजनिक कानून तत्व शामिल नहीं है

सेवा के एक निजी अनुबंध का प्रवर्तन। अस्पताल के संचालन में, रामकृष्ण मिशन कोई सार्वजनिक कार्य नहीं करता है। निस्संदेह, अस्पताल को अनुदान का कुछ अंश प्राप्त हो रहा है। अस्पताल द्वारा प्राप्त अनुदान में खर्च का केवल एक हिस्सा शामिल होता है। अनुदान की शर्तें अस्पताल के प्रबंधन या दिन–प्रतिदिन के कामकाज में किसी भी प्रकार के सरकारी नियंत्रण का संकेत नहीं देती हैं। रामकृष्ण मिशन द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति, सामान्य रूप से है ।

4. इससे पहले कि किसी संगठन को किसी सार्वजनिक कार्य के निर्वहन के लिए आयोजित किया जा सके, कार्य एक ऐसे चरित्र का होना चाहिए जो निकटता से हो। उन कार्यों से संबंधित जो राज्य द्वारा अपनी संप्रभु क्षमता में किए जाते हैं। इस बात का संकेत देने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि अस्पताल ऐसे कार्य करता है जो केवल राज्य अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों के समान हैं। चिकित्सा सेवाएं निजी के साथ–साथ राज्य संस्थाओं द्वारा भी प्रदान की जाती हैं। एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में संगठन पर निर्भर है मामले की परिस्थितियाँ। अस्पताल की स्थापना में, मिशन को एक सार्वजनिक कार्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अस्पताल को कानून द्वारा प्रदत्त या अनिवार्य कोई एकाधिकार का दर्जा नहीं है। यह राज्य में किसी विशेष व्यवस्था की सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य नहीं है।

'अनुच्छेद 226 के अर्थ के भीतर 'प्राधिकरण'। राज्य सरकारें विभिन्न संगठनों को राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के लिए रियायती शर्तें प्रदान करती हैं। राज्य उन्हें अपनी सामाजिक नीति या आर्थिक विकास की अनिवार्यताओं के सहायक के रूप में प्रोत्साहित कर सकता है। केवल यह तथ्य कि अस्पताल को रियायती आधार पर भूमि प्रदान की गई

थी, अपने आप में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि अस्पताल एक सार्वजनिक कार्य करता है। वर्तमान मामले में, अस्पताल के प्रबंधन में राज्य नियंत्रण के अभाव में अस्पताल एक के दायरे में नहीं आता है

सार्वजनिक प्राधिकरण। [पैरा 31]

5. कानून द्वारा विनियमन अस्पताल को एक निकाय के रूप में गठित नहीं करता है जो कानून के तहत गठित किया जाता है। व्यक्ति और संगठन कई गतिविधियों में वैधानिक आवश्यकताओं के अधीन हैं। यह अपने आप में इस बात का निर्णायक नहीं हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति या संगठन किसी सार्वजनिक कार्य का निर्वहन करता है या नहीं। इस प्रकार, विशुद्ध रूप से निजी प्रकृति के अनुबंध केवल इस तथ्य के कारण रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं होंगे कि वे वैधानिक प्रावधानों द्वारा संरचित हैं। इस सिद्धांत का एकमात्र अपवाद ऐसी स्थिति में उत्पन्न होता है जहां सेवा का अनुबंध एक वैधानिक प्रावधान द्वारा शासित या विनियमित होता है।

[पैरा 32,33]

6–नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनिमयन) अधिकरण 2010 प्रभावशील होने पर स्टेबलिसमेंट के लिए न्यूनतम मापदंड सुेविधाएं और सेबाएं के संबंध में विनियम बनाए गए थ । हालांकि यह अधिनियम अस्पताल एवं उनके कर्मचारियां पर लागू नहीं होता था । ये विशुद्ध रूप से निजी अनुबंधों के दायरे में आते हैं, जिनके खिलाफ रिट अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है।

[पैरा 32,34]

7. उच्च न्यायालय की खंड पीठ न्यायसंगत नहीं थी इस निष्कर्ष पर पहुँचना कि अपीलार्थी उत्तरदायी हैं संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद के अर्थ के भीतर अधिकार न ही

कृष्णा मिशन, और न ही अस्पताल का गठन होगा संविधान के अनुच्छेद 226 के अर्थ के भीतर अधिकार के रूप में 35,36]

सत्यब्रत चक्रवर्ती बनाम। अरुणाचल प्रदेश राज्य

2005 (4) जी. एल. टी. 150; एंडी मुक्त सद्गुरु श्री

मुक्ताजी वंदास स्वामी सुवर्ण जयंती महोत्सव

स्मारक ट्रस्ट बनाम। वी आर रुदानी (1989) 2 एससीसी 691:

[1989 , 2 एससीआर 697; वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। वीएसटी

उद्योग श्रमिक संघ (2001) 1 एस. सी. सी. 298: [2000]

5 पूरक। एससीआर 438; जी बस्सी रेड्डी बनाम अंतर्राष्ट्रीय

फसल अनुसंधान संस्थान (2003) 4 एस. सी. सी. 225: [2003] 1 एससीआर 1174; रमेश अहलूवालिया बनाम। पंजाब राज्य

(2012) 12 एससीसी 331: [2012] 12 एस. सी. आर. 325; संघीय

बैंक लिमिटेड बनाम सागर थॉमस (2013) 10 एससीसी 733:

[2003] 4 पूरक। एस. सी. आर. 121–पर निर्भर था।

फेडरल बैंक लिमिटेड बनाम सागर थॉमस (2013) 10 एस. सी. सी. 733: [2003] 4 पूरक। एससीआर 121; बिन्नी लिमिटेड बनाम वी. सदाशिवन

के. के. सक्सेना बनाम अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई आयोग और जल निकासी (2015) 4 एस. सी. सी. 670; अजय हासिया बनाम खालिद

मुजीब सहरावर्दी (1981) 1 एस. सी. सी. 722: [1981] 2 एससीआर

79 ; प्रदीप कुमार विश्वास बनाम। भारतीय संस्थान

रासायनिक जीवविज्ञान (2002) 5 एससीसी 111: [2002] 3 एससीआर 100 ; जट्य पाल सिंह बनाम। भारत संघ (2013) 6 एससीसी

452 [2013] 2 एस. सी. आर. 970–संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

2005(4) GLT 150	पर विश्वास व्यक्त किया	पैरा 13
[1989] 2 SCR 697	पर विश्वास व्यक्त किया	पैरा 13
[2000] 5 Suppl. SCR 438	पर विश्वास व्यक्त किया	पैरा 24
[2003] 1 SCR 1174	पर विश्वास व्यक्त किया	पैरा 25
[2012] 12 SCR 315	पर विश्वास व्यक्त किया	पैरा 26
[2003] 4 Suppl. SCR 121	पर विश्वास व्यक्त किया	पैरा 27
[2005] 2 Suppl.SCR 421	पर विश्वास व्यक्त किया	पैरा 28
(2005) 4 SCC 670	पर विश्वास व्यक्त किया	पैरा 29
[1981] 2 SCR 79	पर विश्वास व्यक्त किया	पैरा 38

[2002] 3 SCR 100	पर विश्वास व्यक्त किया	पैरा 38
[2013] 2 SCR 970	पर विश्वास व्यक्त किया	पैरा 38

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.2394 /2019

अंतरिम आदेश दिनांक 06.04.2011 गुवाहटी उच्च न्यायालय ईटा नगर बेंच W.A. No. 25(AP)/2017

अभिषेक मनु सिंघवीए के.व्ही. विश्वनाथनए वरिष्ट अधिवक्ता अरजीत मजूमदारए अमित भंडारीए अरूणाभा देवए सांबो नंदीए अभिनव मुखर्जीए दीपन कुमार सरकारए अधिवक्ता अपीलार्थीगण

ए. तिवारी, सुश्री एलिजा बार, श्री पाल सिंह, सुश्री प्रियंका दास, विभु शंकर मिश्रा, सुश्री रागनी पांडे, राज बहादुर, श्रीमती अनिल कटियार,अधिवक्ता उत्तरवादीगण

न्यायालय का निर्णय डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ द्वारा दिया गया था

1. विशेष अनुमति याचिका

2. यह अपील गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के एक फैसले के खिलाफ एक रिट अपील के फैसले से उत्पन्न हुई है। एकल न्यायाधीश सीखा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 7 सितंबर 2016 के एक फैसले में कहा कि रामकृष्ण मिशन राज्य के भीतर 'राज्य'है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 का अर्थ। अपील में, खंड पीठ ने कहा कि हालांकि रामकृष्ण मिशन शब्द के सख्त अर्थ में अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर 'राज्य' नहीं हो सकता है, फिर भी ईटानगर में इसका अस्पताल एक सार्वजनिक कर्तव्य निभाता है और परिणामस्वरूप उस अनुच्छेद में 'प्राधिकरण' अभिव्यक्ति की उदार व्याख्या पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होगा।

3. पहला उत्तरदाता 15 मार्च 1980 को इटानगर में रामकृष्ण मिशन अस्पताल में एक सामान्य कर्तव्य कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ।

1 अगस्त 1980 से 23 जुलाई 1980 के एक पत्र द्वारा नियमित किया गया। 31 मार्च 1982 को, पहले उत्तरदाता को नर्सिंग एड के मूल पद पर पदोन्नत किया गया था। 13 अप्रैल 1984 को उन्हें स्थायी बना दिया गया था। इसके बाद 31 दिसंबर 2005 को उन्हें 1 अक्टूबर 2005 से कार्यालय सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया।

4. अस्पताल के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें हैं –

सेवा नियमों द्वारा शासित। उनमें से नियम 18 है जो निम्नलिखित शर्तों में सेवानिवृत्ति का प्रावधान करता हैः

" 18. पर्यवेक्षण (सेवानिवृत्ति):

(i) एक स्थायी कर्मचारी/कर्मचारी आम तौर पर सेवानिवृत्त होगा

35 वर्ष की सेवा या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अस्पताल की सेवाएं। बशर्ते कि अस्पताल की सेवा में प्रबंधन 35 वर्ष की सेवा के बाद भी एक कर्मचारी/कर्मचारी की सेवा का विस्तार कर सकता है या वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है, जो भी पहले हो,उसकी चिकित्सा योग्यता के अधीन एक बार में 1 वर्ष के अंतराल में।

(ii) हालांकि, एक कर्मचारी/कर्मचारी पहले सेवानिवृत्त हो सकता है यदि शारीरिक या मानसिक अक्षमता से पीड़ित होने की घटना अपने कर्तव्यों का निर्वहन बशर्ते कर्मचारी/कर्मचारियों की शारीरिक या मानसिक अक्षमता प्रबंधन द्वारा विधिवत गठित एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्थापित की जाती है। 31 जनवरी 2015 को, अस्पताल ने पहले प्रतिवादी को सूचित किया कि वह सेवा नियमों के अनुसार 24 मार्च 2015 को सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप पैंतीस साल की सेवा पूरी हो जाएगी।

5. प्रथम प्रतिवादी ने उपरोक्त को चुनौती देने के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की। 31 मार्च 1982 से नियुक्ति की गणना करते हुए, जब उन्हें एक नर्सिंग सहायक के रूप में पर्याप्त रूप से नियुक्त किया गया था, संचार किया और उन्हें पैंतीस साल की सेवा पूरी करने तक सेवा में बने रहने की अनुमति देने के लिए एक आदेश पत्र की मांग की।

6– अपीलकर्ताओं ने प्रारंभिक आपत्ति जताई याचिका की स्थिरता इस आधार पर है कि न तो रामकृष्ण मिशन और न ही इसका अस्पताल अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर 'राज्य' है और वे किसी भी स्थिति में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

7. विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका की अनुमति दी। रिट याचिका की स्थिरता पर अपीलार्थियों की आपत्तियों को खारिज करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि अपीलार्थी अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर 'राज्य'के विवरण के भीतर आते हैं। अस्पताल को गुण–दोष के आधार पर एक निर्देश जारी किया गया था कि पहले प्रतिवादी की नियुक्ति की तारीख को 15 मार्च 1980 के बजाय 31 मार्च 1982 माना जाए।

8– नतीजतन, पहले उत्तरदाता को प्रभावी रूप से सेवा में शामिल होने की प्रारंभिक तिथि के आधार पर गणना की गई सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे दो साल के लिए सेवा का विस्तार दिया गया था। प्रथम प्रत्यर्थी को तारीख के आधार पर उसके अंतिम बकाया का भुगतान किया गया है अस्पताल द्वारा गणना के अनुसार सेवानिवृत्ति।

9– अपीलार्थियों की रिट अपील एक खंड पीठ के समक्ष विफल रही उच्च न्यायालय से। डिवीजन बेंच ने अपील को खारिज करते हुए मुख्य रूप से दो परिस्थितियों पर भरोसा किया:

(i) अस्पताल अपने खर्च के एक हिस्से के लिए धन का लाभ उठा रहा था और एक साठ बिस्तरों वाला अस्पताल चला रहा था।

सार्वजनिक कर्तव्य; और

(ii) सत्यब्रत चक्रवर्ती बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य 1 में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का निर्णय था, जिसमें कहा गया था कि रामकृष्ण मिशन निम्न श्रेणी में आता है – 'अनुच्छेद 12 और 226 के तहत अन्य प्राधिकरण संविधान। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश के इस निर्णय को बाधित नहीं किया जाना चाहिए जो तेरह वर्षों तक इस क्षेत्र में रहे थे। यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता राज्य में एक बहुत बड़ा अस्पताल चला रहा है और जनता का उपयोग कर रहा है इसके संचालन के एक हिस्से के लिए धन और रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होगा। अपीलार्थियों के खिलाफ प्रारंभिक मुद्दों का जवाब देते हुए, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपील दायर की जाए बाद में सुनवाई के लिए।

10– वर्तमान कार्यवाही पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने 19 नवंबर 2018 के अपने आदेश द्वारा नोटिस जारी किया और इस पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश दिनांक 6 अप्रैल 2018 नोटिस जारी करने के आदेश के अनुसरण में, भारत संघ की ओर से जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ–साथ अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है।

11– उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के समर्थन में राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है किः

(i) जिस भूमि पर रामकृष्ण मिशन अस्पताल का निर्माण किया गया था, उसे 12 जुलाई 1984 को अपीलार्थियों को आवंटित किया गया था।

रियायती दर;

(ii) इसके बाद 4 मई 2005 को रियायती दर पर 4.66 एकड़ की अतिरिक्त भूमि भी आवंटित की गई;

(iii) अस्पताल को राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होता है।

12– भारत संघ द्वारा दायर जवाबी हलफनामे पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनजातीय कार्य मंत्रालय नहीं है वर्तमान अपील के विषय से संबंधित।

13– अपीलार्थियों की ओर से डॉ– अभिषेक मनु सिंघवी और वरिष्ठ वकील श्री के– वी– विश्वनाथन ने कहा कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने एंडी मुक्त सद्गुरु श्री मुक्ताजी मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। वंदास स्वामी सुवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक न्यास बनाम वी– आर– रुदानी तथ्यों और कानून दोनों पर उस मामले में स्पष्ट अंतर को ध्यान में रखे बिना। यह आग्रह किया गया कि उपरोक्त निर्णय एक सार्वजनिक न्यास के मामले से संबंधित है जो एक विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज का प्रबंधन कर रहा था। महाविद्यालय के बंद होने के संबंध में विवाद और इसके परिणामस्वरूप वेतन का भुगतान न करना पूरी तरह से इसके दायरे में आता है विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में निहित नियामक प्रावधान। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है किः

(I) प्रथम प्रतिवादी द्वारा कोई सार्वजनिक कर्तव्य नहीं किया जाता है।
(ii) रामकृष्ण मिशन ने इसकी स्थापना और प्रबंधन किया है।

विशुद्ध रूप से समाज की स्वैच्छिक सेवा के रूप में अस्पताल;

(iii) अस्पताल के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें कानून या अधीनस्थ कानून द्वारा शासित नहीं होती हैं और इसलिए, किसी भी नियम को लागू करने में कोई सार्वजनिक कानून तत्व शामिल नहीं है।

विशुद्ध रूप से सेवा का निजी अनुबंध;

(iv) उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के परिणामस्वरूप, रामकृष्ण मिशन की गतिविधियों की पूरी श्रृंखला इसके दायरे में आएगी।

अनुच्छेद के अर्थ के भीतर एक 'प्राधिकरण' का वर्णन इन आधारों पर, यह आग्रह करने की मांग की गई थी कि उच्च न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय की मिसाल के विपरीत है, जिसके लिए हम थोड़ी देर बाद विज्ञापन देंगे। इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रत्येक परिस्थिति जो इस

निष्कर्ष पर पहुंचने में उच्च न्यायालय के साथ वजन करती है कि अपीलार्थी अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के कारण के लिए उत्तरदायी हैं, कानून में तय स्थिति के विपरीत है।

14– दूसरी ओर, अरुणाचल प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री ए. तिवारी ने इस पर भरोसा जताया है जवाबी हलफनामे में निहित तथ्यों का विवरण, जैसा कि पहले देखा गया था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि रामकृष्ण मिशन अस्पताल है अरुणाचल प्रदेश राज्य का एकमात्र अस्पताल और इसलिए, इसकी एकाधिकार स्थिति के आधार पर, इसे रिट के लिए उत्तरदायी माना जाना चाहिए। अनुच्छेद 226 के तहत अधिकारिता। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया कि अस्पताल को राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त हो। अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक अस्पताल का संचालन करना, यह आग्रह किया गया था कि इसे एक सार्वजनिक समारोह माना जाना चाहिए जो अपीलकर्ताओं को अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी बनाता है।

15– प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ विचार के लिए आती हैं।

16– रामकृष्ण मिशन ईटानगर में 263 बिस्तरों वाला अस्पताल चलाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सहायता अनुदान में 263 बिस्तरों वाले अस्पताल में से 60 बिस्तरों को चलाने की लागत शामिल है। अनुदान की प्रकृति और विस्तार के संबंध में प्रासंगिक तथ्यात्मक आंकड़ों को रिकॉर्ड पर रखा गया है। 2014–2015 के लिए अस्पताल की कुल आय का लगभग <ID3%, 2015–16 के लिए 23.33 और 2016–17 के लिए <ID1% राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान से था। अस्पताल के राजस्व व्यय, लेखापरीक्षित तुलनपत्र और खातों से पता चलता है कि 2014–2015 के लिए 35.23 प्रतिशत, 2015–2016 के लिए 23.83 प्रतिशत और 2016–2017 के लिए 20.57 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए धन से वहन किया गया था।

17– यह आकलन करने में कि क्या अपीलार्थी अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हैं, हम निम्नलिखित के आधार पर आगे बढ़ते हैं।

उच्च न्यायालय के समक्ष मूल याचिकाकर्ता की ओर से और वर्तमान अपील के जवाब में राज्य सरकार द्वारा सहायता के लिए दबाव डालने वाली परिस्थितियाँः

(i) अस्पताल की आय का एक हिस्सा अस्पताल से उत्पन्न होता है।

राज्य से प्राप्त अनुदान और रामकृष्ण मिशन

(ii) राज्य सरकार द्वारा अस्पताल के निर्माण के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार द्वारा अनुदान में ईटानगर के अस्पताल के 263 बिस्तरों में से केवल 60 बिस्तर शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के दिन–प्रतिदिन के कामकाज पर नियंत्रण नहीं है।

18. इस न्यायालय के समक्ष मूल मुद्दा यह है कि क्या अस्पताल द्वारा किए जाने वाले कार्य सार्वजनिक कार्य हैं, जिसके आधार पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अनिवार्य आदेश दिया जा सकता है।

19– अस्पताल रामकृष्ण मिशन की एक शाखा है और इसके नियंत्रण में है। इस मिशन की स्थापना श्री रामकृष्ण परमहंस के अग्रणी शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। के लिए सेवा मानवता उस संगठन के लिए है जो ईश्वर की सेवा के बराबर है जैसा कि आदर्श वाक्य "आत्मानो मोक्षार्थम जगद हिताया चा"में परिलक्षित होता है। रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा प्रतिपादित और व्यावहारिक रूप से उनके अपने जीवन और तुलनात्मक धर्मशास्त्र द्वारा इसके व्यापक रूप में सचित्र वेदांत और इसके सिद्धांतों के अध्ययन में ज्ञान प्रदान करना और बढ़ावा देना है। इसके उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ–साथ स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, पुस्तकालयों, अस्पतालों की स्थापना, रखरखाव, संचालन और सहायता करना और लोगों के लाभ के लिए विकास और सामान्य कल्याण गतिविधियों को शुरू करना शामिल है। समाज के वंचित/पिछड़े/आदिवासी लोग बिना किसी भेदभाव के। ये गतिविधियाँ स्वैच्छिक, धर्मार्थ और गैर–लाभकारी प्रकृति की हैं। एक गैर–लाभकारी संस्था, मिशन द्वारा की गई गतिविधियाँ राज्य द्वारा की गई गतिविधियों से निकटता से संबंधित नहीं हैं। संप्रभु क्षमता और न ही वे सार्वजनिक कर्तव्य की प्रकृति में भाग लेते हैं।

20. मिशन के शासी निकाय का गठन रामकृष्ण मठ के न्यासी मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है और इसमें संगठन के प्रबंधन की शक्ति और अधिकार निहित होते हैं। मिशन की संपत्तियाँ और धन और इसका प्रबंधन शासी निकाय में निहित है। शासी निकाय द्वारा चुने जाने पर कोई भी व्यक्ति मिशन का सदस्य बन सकता है। रोल पर सदस्य वार्षिक आम बैठकों का कोरम बनाते हैं। प्रबंध समिति में [2019, 5 एस. सी. आर. के मामलों के प्रबंधन के लिए शासी निकाय द्वारा नियुक्त सदस्य शामिल हैं। मिशन संगठन के ज्ञापन और मिशन के नियमों और विनियमों के तहत, मिशन के कामकाज, प्रशासन और दिन–प्रतिदिन के प्रबंधन में कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। अस्पताल के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें सेवा नियमों द्वारा शासित होती हैं जो मिशन द्वारा बनाए गए हैं। किसी भी सरकारी निकाय का हस्तक्षेप।

21. इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि अपीलकर्ता अनुच्छेद 226 के तहत एक प्राधिकरण के विवरण के भीतर आते हैं, उच्च न्यायालय ने एक एंडी मुक्ता के मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर काफी हद तक निर्भरता। विश्वविद्यालय द्वारा भी। कॉलेज के प्रबंधन ने बिना पूर्व मंजूरी के इसे बंद करने का फैसला किया। शिक्षकों के वेतन और अंतिम लाभ प्राप्त करने के अधिकार को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। शासी प्रावधानों के अनुसार। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या कॉलेज का प्रबंधन रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी था। इस न्यायालय के अंतिम निर्णय में कई परिस्थितियों को शामिल किया गया, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैंः

(i) न्यास एक संबद्ध महाविद्यालय का प्रबंधन कर रहा था;

(ii) महाविद्यालय को सरकारी सहायता मिल रही थी।

(iii) शैक्षणिक संस्थान के नियंत्रण, प्रबंधन और कार्य में सरकार की सहायता ने प्रमुख भूमिका निभाई है।

(iv) सहायता प्राप्त संस्थान, सरकारी संस्थानों के समान, शिक्षा प्रदान करने के सार्वजनिक कार्य का निर्वहन करते हैं।

(v) सभी सहायता प्राप्त संस्थान नियमों और विनियमों द्वारा शासित होते हैं।

(vi) उनकी गतिविधियों की विश्वविद्यालय द्वारा बारीकी से निगरानी की जाती है; और रामकृष्ण मिशन

(vii) ऐसे संस्थानों में रोजगार सार्वजनिक चरित्र से रहित नहीं है और यह विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णयों द्वारा शासित होता है जो प्रबंधन पर बाध्यकारी होते हैं।

22– यह उपरोक्त परिस्थितियों में था कि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवा शर्तें लागू नहीं होती हैं। एक निजी चरित्र में भाग लेते हैं, लेकिन कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक अधिकार–कर्तव्य संबंध जहाज द्वारा शासित होते हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कर्तव्य का उल्लंघन, परमादेश के रिट के उपचार के लिए उत्तरदायी होगा। जबकि न्यायालय ने माना कि "लोगों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले निकायों की तेजी से बढ़ती भूलभुलैया को जलरोधक डिब्बों में नहीं रखा जा सकता है", इसने दो अपवाद निर्धारित किए जहां मैंडमस का उपचार उपलब्ध नहीं होगाः

" 15. यदि अधिकार विशुद्ध रूप से एक निजी चरित्र के हैं तो कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकता है। यदि कॉलेज का प्रबंधन विशुद्ध रूप से एक निजी निकाय है, जिसमें कोई सार्वजनिक कर्तव्य नहीं है, तो यह झूठ नहीं बोलेगा। ये दो हैं।

23. एंडी मुक्ता के मामलें में निर्णय के बाद, इस न्यायालय को क्रमिक निर्णयों में अंतर्निहित सिद्धांतों पर फिर से विचार करने का अवसर मिला है। यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों के विकास को प्रेरित किया है कि 'सार्वजनिक कर्तव्य' और 'सार्वजनिक कार्य' को क्या माना जाता है और क्या मैंडमस का रिट उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगा जो अपने अधिकार को लागू करना चाहता है।

24– वी– एस– टी– इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम वी– एस– टी– इंडस्ट्रीज श्रमिक संघ में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सेवा की शर्तों का केवल उल्लंघन अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए एक वैध आधार प्रदान नहीं करेगा, ऐसी स्थिति में जहां गतिविधि में सार्वजनिक कर्तव्य की विशेषताएं नहीं हैं। इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

प्रशासनिक कार्रवाई, 5 वीं संस्करण , यह देखा गया है कि निजी निकायों की सभी गतिविधियाँ निजी कानून के अधीन नहीं हैं जैसे कि गतिविधियाँ
निजी निकायों द्वारा सार्वजनिक कानून के मानकों द्वारा शासित किया जा सकता है जब इसके निर्णय क़ानून द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों के अधीन होते हैं या जब, कार्य के आधार पर यह प्रदर्शन कर रहा है या संभवतः इसके

बाजार में प्रमुख स्थिति, जनहित में कार्य करना एक निहित कर्तव्य के तहत है। विस्तृत चर्चा के बाद, विद्वान लेखकों ने निम्नलिखित प्रस्तावों के साथ स्थिति का सारांश दिया हैः

(1) यह परीक्षण कि क्या कोई निकाय सार्वजनिक कार्य कर रहा है, और इसलिए न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है, अपनी शक्ति के स्रोत पर निर्भर नहीं कर सकता है या क्या निकाय स्पष्ट रूप से एक सार्वजनिक या निजी निकाय है।

आम तौर पर मामले को नियंत्रित करते हैं। यह सामान्य को दर्शाता है अंग्रेजी कानून का दृष्टिकोण, अर्थात्, कि एक अनुबंध की शर्तें आम तौर पर सामान्य कानून के बजाय लेन–देन, या पक्षों के बीच अन्य संबंधों को नियंत्रित करेगा। इस प्रकार, जहां विवादों को हल करने की एक विशेष विधि (जैसे –निजी या घरेलू न्यायाधिकरणों द्वारा मध्यस्थता या समाधान) आवश्यक निहितार्थ), वह शासन, न कि न्यायिक समीक्षा, आम तौर पर विवाद को नियंत्रित करेगा।

25. जी बस्सी रेड्डी बनाम अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान

इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस बात पर विचार किया कि क्या अर्ध–शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आई. सी. आर. आई. एस. ए. टी.), जो एक गैर–लाभकारी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र है, अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। विवाद ।CRISAT के कर्मचारियों की बर्खास्तगी से संबंधित। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल वे कार्य जो राज्य द्वारा अपनी संप्रभु क्षमता में किए जाने वाले कार्यों के समान या निकटता से संबंधित हैं, वे 'सार्वजनिक कार्य' या 'सार्वजनिक कर्तव्य' के रूप में योग्य हैं:

" 28. अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट किसी "व्यक्ति"के खिलाफ हो सकती है यदि वह एक सांविधिक निकाय है या सार्वजनिक कार्य करता है या सार्वजनिक कार्य करता है। या वैधानिक कर्तव्य। आई– सी– आर– आई– एस– ए– टी– को किसी क़ानून द्वारा स्थापित नहीं किया गया है और न ही इसकी गतिविधियों को वैधानिक रूप से नियंत्रित किया जाता है। हालांकि, यह आसान नहीं है परिभाषित करें कि सार्वजनिक कार्य या सार्वजनिक कर्तव्य क्या है, यह उचित रूप से कर सकता है विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक आधार पर कृषि के क्षेत्र में कार्यक्रम आधार स्वैच्छिक रूप से की गई सेवा को सेवा नहीं कहा जा सकता है। सार्वजनिक कर्तव्य। इसके अलावा आई– सी– आर– आई– एस– ए– टी–– की एक भूमिका है जो इससे भी आगे तक फैली हुई है । दुनिया भर के लोगों को लाभान्वित करें। जबकि भारतीय जनता संस्थान की गतिविधियों का लाभार्थी हो सकता है, यह निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि आईसीआरआईएसएटी का भारतीय जनता के प्रति कर्तव्य है कि अनुसंधान और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करें। उपरोक्त परीक्षण को लागू करते हुए, इस न्यायालय ने निर्णय को बरकरार रखा ।

उच्च न्यायालय ने कहा कि आई– सी– आर– आई– एस– ए– टी– के खिलाफ रिट याचिका विचारणीय नहीं थी।

26. इसी तरह का दृष्टिकोण रमेश अहलूवालिया बनाम राज्य में लिया गया था। पंजाब[5], जहाँ इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि एक निजी निकाय को अनुच्छेद 226 के तहत

उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है जब वह सार्वजनिक कार्य करता है जो आम तौर पर राज्य या उसके अधिकारियों द्वारा किए जाने के लिए पूर्वनिर्धारित होते हैं।

27. फेडरल बैंक लिमिटेड बनाम सागर थॉमस मामले में, इस न्यायालय ने विश्लेषण किया इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों और उन स्थितियों का वर्गीकरण प्रदान किया जिनके खिलाफ एक रिट याचिका बनाए रखने योग्य हो सकती हैः

" 18. ऊपर उल्लिखित निर्णयों से, वह स्थिति जो उभरती है यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका है।

(i) राज्य (सरकार) के विरुद्ध विचारणीय हो सकता है;

(ii) प्राधिकरण;

(iii) एक वैधानिक निकाय;

(iv) एक साधन या एजेंसी

(v) एक ऐसी कंपनी जिसका वित्तपोषण और स्वामित्व राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

राज्य;

(vi) राज्य पर काफी हद तक चलने वाला एक निजी निकाय।

(vii) सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने वाला एक निजी निकाय या सार्वजनिक प्रकृति का सकारात्मक दायित्व;

(viii) कोई व्यक्ति या किसी भी कार्य के निर्वहन के लिए दायित्व के तहत निकाय कानून, इसे इस तरह के वैधानिक कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए।

28. 'बिन्नी लिमिटेड बनाम वी. सदाशिवन' मामले में, इसकी दो न्यायाधीशों की पीठ न्यायालय ने सार्वजनिक और निजी कार्यों के बीच अंतर को नोट किया। यह इस प्रकार थाः

" 11 ..... सार्वजनिक कार्यों और कार्यक्रमों के बीच एक रेखा खींचना मुश्किल है। निजी कार्य जब वे विशुद्ध रूप से एक द्वारा निर्वहन किया जा रहा है निजी प्राधिकरण। एक निकाय एक "सार्वजनिक कार्य"कर रहा है जब यह जनता या किसी वर्ग के लिए कुछ सामूहिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। जनता द्वारा या जनता के उस वर्ग द्वारा स्वीकार किया जाता है जनता के पास ऐसा करने का अधिकार है। सार्वजनिक कार्य जब वे हस्तक्षेप करते हैं या सामाजिक या सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं लोक हित में आर्थिक मामले" पीठ ने परमादेश के दायरे को स्पष्ट कियाः

" 29. हालांकि, परमादेश का दायरा प्रवर्तन तक सीमित है।

जिस प्राधिकारी के विरुद्ध इसकी मांग की जाती है। अगर निजी निकाय एक सार्वजनिक कार्य का निर्वहन कर रहा है और किसी भी कार्य से इनकार कर रहा है। अधिकार इस प्रकार पर लगाए गए सार्वजनिक कर्तव्य के संबंध में है सार्वजनिक निकाय पर या तो वैधानिक या अन्यथा हो सकता है और इस तरह की शक्ति का स्रोत महत्वहीन है, लेकिन, फिर भी, वहाँ होना चाहिए ऐसी कार्रवाई में सार्वजनिक कानून का तत्व बनें। ऐसा नहीं हो सकता सार्वजनिक प्राधिकरण या सार्वजनिक कार्रवाई की सामान्य परिभाषा। द– प्रत्येक मामले के तथ्य बिंदु तय करते हैं।

29– हाल ही में के– के– सक्सेना बनाम अंतर्राष्ट्रीय आयोग में सिंचाई और जल निकासी पर, इस न्यायालय की दो अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि विशुद्ध रूप से निजी कानून अधिकारों को लागू करने के लिए एक रिट झूठ नहीं होगी। नतीजतन, भले ही कोई निकाय सार्वजनिक कर्तव्य का पालन कर रहा हो और रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए उत्तरदायी हो, उसके सभी निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होंगे। न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

" 43. एक मिनट से क्या होता है और ध्यान से पढ़ें इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय यह हैं कि यदि कोई व्यक्ति या प्राधिकारी "संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर राज्य, मान लीजिए कि अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका ऐसे लोगों के खिलाफ होगी। हालाँकि, हम यह जोड़ सकते हैं कि ऐसे मामलों में भी रिट निजी कानून अधिकारों को लागू करने के लिए झूठ नहीं बोलेगा। इस पहलू पर कई निर्णय हैं और उन निर्णयों को संदर्भित करना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह प्रशासनिक कानून के तहत किसी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का मूल सिद्धांत है। इसका कारण स्पष्ट है। एक निजी कानून एक कानूनी प्रणाली का वह हिस्सा है जो सामान्य कानून का एक हिस्सा है जिसमें व्यक्तियों के बीच संबंध शामिल होते हैं, जैसे कि अनुबंध या अपकृत्य का कानून। इसलिए, भले ही रिट याचिका किसी प्राधिकरण के खिलाफ बनाए रखने योग्य हो, जो संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" है, कोई भी रिट जारी करने से पहले, विशेष रूप से अनिवार्य रूप से, न्यायालय को संतुष्ट करना होगा कि ऐसे प्राधिकरण की कार्रवाई, जिसे चुनौती दी गई है, सार्वजनिक कानून के क्षेत्र में है जैसा कि विशिष्ट है। इस प्रकार, भले ही निकाय एक व्यापक अर्थ में एक सार्वजनिक कार्य का निर्वहन करता है, सेवा के एक निजी अनुबंध के प्रवर्तन में कोई सार्वजनिक कानून तत्व शामिल नहीं है।

30– अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया था, उनका विश्लेषण करने के बाद हमारा मानना है कि अस्पताल चलाने में रामकृष्ण मिशन कोई सार्वजनिक कार्य नहीं करता है। निस्संदेह, अस्पताल को अनुदान का कुछ अंश प्राप्त हो रहा है। अस्पताल द्वारा प्राप्त अनुदान में खर्च का केवल एक हिस्सा शामिल होता है। अनुदान की शर्तें अस्पताल के प्रबंधन या दिन–प्रतिदिन के कामकाज में किसी भी प्रकार के सरकारी नियंत्रण का संकेत नहीं देती हैं। रामकृष्ण मिशन द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति, सामान्य रूप से, विचाराधीन अस्पताल से संबंधित इसकी गतिविधियों के संबंध में, विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है।

31. इससे पहले कि किसी संगठन को जनता का निर्वहन करने के लिए आयोजित किया जा सके, कार्य एक ऐसे चरित्र का होना चाहिए जो उन कार्यों से निकटता से संबंधित हो जो राज्य द्वारा अपनी संप्रभु क्षमता में किए जाते हैं। इस बात का संकेत देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अस्पताल ऐसे कार्य करता है जो केवल राज्य अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों के समान हैं। चिकित्सा सेवाएं निजी के साथ–साथ राज्य संस्थाओं द्वारा भी प्रदान की जाती हैं। एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में संगठन का चरित्र इस पर निर्भर करता है –मामले की परिस्थितियाँ। अस्पताल की स्थापना में, मिशन को एक सार्वजनिक कार्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अस्पताल को कानून द्वारा प्रदत्त या अनिवार्य कोई एकाधिकार का दर्जा नहीं है। कि यह [2019] 5 एस– सी– आर– में पहला था। किसी विशेष व्यवस्था की सेवा प्रदान करने के लिए राज्य इसे अनुच्छेद 226 के अर्थ के भीतर एक 'प्राधिकरण' नहीं बनाता है। राज्य सरकारें विभिन्न संगठनों को राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के लिए रियायती शर्तें प्रदान करती हैं। राज्य उन्हें अपनी सामाजिक नीति या आर्थिक विकास की अनिवार्यताओं के सहायक के रूप में प्रोत्साहित कर सकता है। केवल यह तथ्य कि अस्पताल को रियायती आधार पर भूमि प्रदान की गई थी, अपने आप में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि अस्पताल एक सार्वजनिक कार्य करता है। वर्तमान मामले में, राज्य नियंत्रण का अभाव अस्पताल के प्रबंधन का हमारे इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है कि अस्पताल सार्वजनिक प्राधिकरण के दायरे में नहीं आता है।

32– यह हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है कि अस्पताल के अधीन है

नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम 2010 द्वारा विनियमन क्या कानून द्वारा अस्पतालों और नर्सिंग होम का विनियमन होता है? अस्पताल को एक वैधानिक निकाय बनाना? निजी व्यक्ति और संगठन कानून के तहत विभिन्न दायित्वों के अधीन हैं। कानून एक सर्वव्यापी घटना है। जन्म के पंजीकरण से लेकर मृत्यु की सूचना देने तक, कानून व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पहलुओं पर दायित्व लगाता है। से विघटन के लिए निगमन, व्यवसाय को कानून के अनुपालन में कार्य करना पड़ता है। लेकिन यह प्रत्येक इकाई या गतिविधि को अनुच्छेद 226 के तहत एक प्राधिकरण नहीं बनाता है। कानून द्वारा विनियमन अस्पताल को एक निकाय के रूप में गठित नहीं करता है जो कानून के तहत गठित किया जाता है। व्यक्ति और संगठन आज कई गतिविधियों में वैधानिक आवश्यकताओं के अधीन हैं। यह अपने आप में इस बात का निर्णायक नहीं हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति या संगठन किसी सार्वजनिक कार्य का निर्वहन करता है या नहीं। फेडरल बैंक (उपरोक्त) में, यह तय करते हुए कि क्या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा विनियमित एक निजी बैंक किसी भी सार्वजनिक कार्य का निर्वहन करता है, अदालत ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 33. ..... हमारे विचार में, एक अनुसूचित बैंक के रूप में बैंकिंग व्यवसाय करने वाली एक निजी कंपनी को एक संस्था या संस्था नहीं कहा जा सकता है। किसी भी वैधानिक या सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने वाली कंपनी। एक निजी निकाय या एक व्यक्ति केवल तभी रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हो सकता है जब उस पर सकारात्मक दायित्व डालने वाले किसी भी वैधानिक दायित्वों या सार्वजनिक

प्रकृति के ऐसे दायित्वों को लागू करने के लिए ऐसे निकाय या संघ को मजबूर करना आवश्यक हो। हम नहीं पाते कि ऐसी शर्तों को एक निजी कंपनी के संबंध में पूरा किया जाता है निजी निकायों द्वारा की जाने वाली ऐसी गतिविधि को सुनिश्चित करना किसी अनुशासन के भीतर, उन्हें ऐसा कोई दर्जा न दें कंपनी और न ही उस पर कोई ऐसा दायित्व लगाया जो हो सकता है अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट जारी करने के माध्यम से लागू किया गया संविधान। वर्तमान में अनुशासनात्मक कार्रवाई का मामला है अपीलार्थी बैंक द्वारा अपने कर्मचारी के विरुद्ध लिया गया।

द. बैंक के साथ प्रत्यर्थी की सेवा समाप्त हो जाती है। द. बैंक की कार्रवाई को प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी गई थी

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करना

भारत से। प्रतिवादी किसी भी वैधानिक व्यवस्था को लागू करने की कोशिश नहीं कर रहा है।

बैंक की ओर से शुल्क "।

33– इस प्रकार, विशुद्ध रूप से निजी प्रकृति के अनुबंध उप नहीं होंगे।

केवल इस तथ्य के कारण कि वे वैधानिक प्रावधानों द्वारा संरचित हैं, अधिकार क्षेत्र लिखने का अधिकार है। इस सिद्धांत का एकमात्र अपवाद ऐसी स्थिति में उत्पन्न होता है जहां सेवा का अनुबंध एक वैधानिक प्रावधान द्वारा शासित या विनियमित होता है। इसलिए, उदाहरण के लिए, के के सक्सेना के मामले में यह न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब कोई कर्मचारी सिंधु विचारण विवाद अधिनियम, 1947 द्वारा शासित एक कर्मचारी होता है, तो यह सामान्य सिद्धांत के लिए एक अपवाद है कि व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध विशिष्ट रूप से लागू या निष्पादित होने में सक्षम नहीं है।

34– यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम को प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानक निर्धारित करने की दृष्टि से नैदानिक प्रतिष्ठानों के विनियमन और पंजीकरण के लिए। अधिनियम, अन्य बातों के साथ–साथ, पंजीकरण के लिए नैदानिक प्रतिष्ठानों द्वारा संतुष्ट की जाने वाली शर्तों को निर्धारित करता है। हालाँकि, यह अधिनियम अस्पताल द्वारा अपने कर्मचारियों के संबंध में किए गए सेवा अनुबंधों को नियंत्रित नहीं करता है। ये विशुद्ध रूप से निजी अनुबंधों के दायरे में आते हैं, जिनके खिलाफ रिट न्यायपालिका झूठ नहीं बोल सकती है। इस विशिष्टता की पवित्रता को संरक्षित किया जाना चाहिए।

35– उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि प्रभाग उच्च न्यायालय की पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित नहीं थी कि अपीलार्थी अनुच्छेद के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हैं। 226 अनुच्छेद के अर्थ के भीतर एक प्राधिकरण के रूप में संविधान का।

36– जिन कारणों को हमने ऊपर जोड़ा है, हम मानते हैं कि न तो रामकृष्ण मिशन, और न ही अस्पताल संविधान के अनुच्छेद 226 के अर्थ के भीतर एक प्राधिकरण का गठन करेगा।

37– समापन से पहले, इस तथ्य का विज्ञापन करना भी आवश्यक होगा कि जबकि विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि अपीलार्थी अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर 'राज्य' हैं, खंड पीठ ने उस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया है। डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया, जैसा कि हमने पहले देखा है, कि अपीलार्थी अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' के विवरण के भीतर नहीं आते हैं। इस निष्कर्ष को पहले कभी चुनौती नहीं दी गई है।

38– अन्यथा भी, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब सहरावर्दियो, प्रदीप कुमार बिस्वास बनाम मामले में इस न्यायालय के अधिकार की रेखा में प्रस्तावित परीक्षण।

भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान 1 और जट्यापल सिंह बनाम भारत संघ 1 1 उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष का समर्थन करते हैं कि अपीलार्थी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर 'राज्य' नहीं हैं।

39– उपरोक्त कारणों से, हम अपील की अनुमति देते हैं और रिट अपील में 6 अप्रैल 2018 के उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को रद्द कर देते हैं।

नंबर 25 (एपी/2017) परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय अर्थात् डब्ल्यू– पी– के समक्ष दायर रिट याचिका। (सिविल) सं– 520 (एपी/2015) खारिज हो जाएगा लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

40– लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा अपील की अनुमति दी गई।

Translated/Validated/Corrected by
CG State Judicial Academy, Bilaspur